



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 158 राँची, गुरुवार,

7 अप्रैल, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

25 मार्च, 2022

संख्या-8/आरोप-14/2019का.1940--श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, सम्प्रति-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2646 दिनांक-02.08.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में साक्ष्य सहित आरोप पत्र गठित कर इस विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

2. विभागीय पत्रांक-8592 दिनांक-24.10.2019 द्वारा साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराते हुए बचाव-बयान समर्पित करने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र पर अपना बचाव-बयान दिनांक-18.11.2019 इस विभाग में समर्पित किया गया ।

3. विभागीय पत्रांक-2695 दिनांक-04.06.2020 द्वारा श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के समर्पित बचाव-बयान की प्रति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3358 दिनांक-24.12.2021 द्वारा श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी के बचाव-बयान पर प्रशासी विभाग का मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

4. श्री मेहरा, प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त बचाव-बयान एवं प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षोपरान्त श्री प्रेम लाल मेहरा, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण विभाग, सम्प्रति-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामाकान्त सिंह (सेवानिवृत्त, भा.प्र.से.), विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री प्रभात कुमार रंजन, अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

रणजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
